महत्वपूर्ण एवं खास

रायगढ़ जिले में दो सौ के पास हुई हाथियों की संख्या,वनमंत्री ने सोशल मिडिया में किया पोस्ट

रायगढ़ (आरएनएस)। रायगढ़ जिले में इस समय हाथियों की संख्या 200 से अधिक हो चुकी है, जो पहले कभी नहीं देखा गया। जिले के दोनों वन मंडलों में हाथियों का दबदबा बढ़ गया है, जिससे हाथी प्रभावित क्षेत्रों में भय का माहौल बना हुआ है। वन विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और कुछ क्षेत्रों में प्रवेश पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। रायगढ़ जिले का धरमजयगढ़ वन मंडल हाथियों के रहने के लिए उपयुक्त स्थान है, जहां ये जानवर सालभर रहते हैं। इस बार कोरबा और अन्य वन मंडलों से हाथियों का एक समूह यहां आ पहुंचा है, जिससे जिले में कुल हाथियों की संख्या 206 हो गई है। इस समूह में नर, मादा और शावक शामिल हैं, जबकि कुछ हाथी अकेले भी घूम रहे हैं। वन मंत्री केदार कश्यप ने सोशल मिडिया पर पोस्ट करते हुए धरमजयगढ़ वनमंडल के तालाब में हाथियों के झुंड का वीडियो साझा किया, जिसमें हाथी गर्मी में तालाब में मस्ती करते नजर आ रहे हैं। वन विभाग इस पर निगरानी रखकर मानव और वन्यजीव संघर्ष को टालने की कोशिश कर रहा है।

मुठभेड़ में मारे गये 20 नक्सलियों के शव परिजनों को सौंपे गए

बीजापुर (आरएनएस)। बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्रान्तर्गत विगत दिनो में हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ में बरामद नक्सलियों के शवों में से अब तक कुल 20 नक्सलियों के शवों की पहचान कर ली गई है। पहचाने गए 20 नक्सलियों के शवों में से 11 शवों को पोस्टमार्टम और अन्य कानूनी औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं मुठभेड़ में बरामद शेष 11 नक्सलियों के शवों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। पहचान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, उनके शव भी परिजनों को सौंपें जाएंगे।

रेत खनन रोकने गई टीम पर हमला, आरक्षक की मौत, थाना प्रभारी निलंबित

बलरामपुर (आरएनएस)। बलरामपुर जिले के लिब्रा घाट में अवैध रेत खनन रोकने गई वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम पर झारखंड के रेत माफियाओं ने हमला कर दिया। इस दौरान ट्रैक्टर चालक ने एक पुलिसकर्मी पर वाहन चढ़ा दिया, जिससे आरक्षक शिवभजन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आईजी दीपक झा ने कड़ा रुख अपनाते हुए सनवाल थाना प्रभारी दिव्यकांत पांडेय को निलंबित कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि टीआई बिना उच्चाधिकारियों को सूचित किए और अपर्याप्त बल के साथ आधी रात को कार्रवाई करने पहुंचे थे, जिस कारण यह हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार, नदी किनारे अवैध अतिक्रमण और रेत खनन की शिकायत पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी। जैसे ही टीम ने अवैध खनन को रोकने की कोशिश की, माफियाओं ने हमला कर दिया। इसी दौरान एक ट्रैक्टर चालक ने आरक्षक को कुचल दिया। घटना के बाद आईजी और बलरामपुर एसपी वैभव बैंकर मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पुलिस आरोपी ट्रैक्टर चालक की पहचान में जुटी है और जल्द ही गिरफ्तारी की बात कही जा रही है।

फर्जी कंपनी के नाम पर 83.5 लाख की ठगी, पूर्व सीएमएचओ समेत 5 पर मामला दर्ज

सूरजपुर (आरएनएस)। सूरजपुर जिले में कोविड-19 महामारी के दौरान ऑक्सीजन प्लांट लगाने के नाम पर एक बड़ी वित्तीय गड़बड़ी सामने आई है। फर्जी कंपनी बनाकर सरकारी खजाने से 83.5 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला उजागर हुआ है। इस मामले में जिले के पूर्व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. रणसाय सिंह सहित स्वास्थ्य विभाग के दो कर्मचारियों और अन्य दो लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। एडिशनल एसपी संतोष महतो ने जानकारी दी कि वर्तमान सीएमएचओ डॉ. कपिलदेव पैकरा की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई की। शिकायत में बताया गया कि डॉ. आर.एस. सिंह ने जैम पोर्टल के माध्यम से ऑक्सीजन प्लांट के लिए टेंडर जारी किया था, जिसे यूनिक इंडिया नामक फर्म को दिया गया। हालांकि, इसके बाद डॉ. सिंह ने अन्य कर्मचारियों और आशीष बोस नामक व्यक्ति के साथ मिलकर यूनिक इंडिया के नाम पर एक फर्जी कंपनी बनाई और उसे 83.5 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में डॉ. रणसाय सिंह, कर्मचारी जेम्स बेक, विजय सिंह, सकिरण सिंह और आशीष बोस के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है।

शादी का झांसा देकर 15 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म

पुलिस ने आरोपी को केरल से लिया हिरासत में, नाबालिग बच्ची को केरल राज्य से ढूंढ कर सकुशल परिजनों को किया गया सुपुर्द

जशपुर | आरएनएस

शादी का झांसा देकर 15 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले मे पुलिस ने आरोपी को केरल से हिरासत में लेकर जशपुर लाई है। नाबालिग बच्ची को केरल राज्य से ढूंढ कर सकुशल परिजनों को सुपुर्द किया गया है।

जशपुर पुलिस, ऑपरेशन मुस्कान के तहत लगातार, गुम बच्चों को ढूंढने का प्रयास कर रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह के नेतृत्व व दिशानिर्देश में जशपुर पुलिस राज्य व राज्य के बाहर जाकर भी गुम बच्चों को ढूंढ सकुशल वापस ला रही है, ऑपरेशन मुस्कान जारी होने की तिथि से अब तक जशपुर पुलिस के द्वारा 155 से अधिक गुम बच्चों को ढूंढ, सकुशल परिजनों के सुपुर्द कर, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने में सफल हुई है। विगत एक सप्ताह में जशपुर पुलिस के द्वारा पांच बच्चियों को ढूंढ सकुशल परिजनों को वापर लौटाया गया था। इसी क्रम में जशपुर पुलिस के द्वारा चौकी दोकड़ा क्षेत्रांतर्गत मामले में एक नाबालिग बच्ची को केरल राज्य से ढूंढ कर सकुशल परिजनों को

सुपुर्द किया गया है। नाबालिग लडक़ी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व शादी का झांसा देते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। चौंकी दोकड़ा क्षेत्रांतर्गत एक ग्राम के प्रार्थी ने चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी दिनांक 20.06.24 को अपनी सहेली के यहां जा रही हूं, कहकर घर से निकली थी, परंतु वापस नहीं लौटी।आस पास रिश्तेदारों, पड़ोसियों में पता साजी किए, कहीं पता नहीं चला, उसे संदेह है कि उसकी नाबालिग बेटी को किसी व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर भगा कर ले जाया गया है। रिपोर्ट पर चौकी दोकड़ा में भा.द.वि. की धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया था। पुलिस के द्वारा लगातार गुम नाबालिग बालिका की पतासाजी की जा रही थी, इसी दौरान पुलिस को परिजनों के सहयोग, मुखबिर की सूचना व पुलिस की टेक्निकल टीम की मदद से पता चला कि उक्त नाबालिग बालिका, ग्राम कोंडापल्ली, जिला कालीकट (केरल) में एक लडक़े दीपेश कुजूर, उम्र 22 वर्ष के साथ है, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देश में पुलिस टीम गठित कर, केरल रवाना हुई, जहां ग्राम कोंडापल्ली जिला कालीकट से पुलिस के द्वारा आरोपी दीपेश कुजूर के कब्जे से नाबालिग बालिका को दस्तयाब कर व आरोपी दीपेश कुजूर को हिरासत में लेकर वापस लाया गया। नाबालिग बच्ची को सकुशल परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस की पूछताछ पर नाबालिग बालिका ने बताया कि आरोपी दीपेश कुजूर के द्वारा उसे प्यार व शादी का झांसा देकर, भगा कर केरल ले गया था, इस दौरान आरोपी दीपेश कुजूर के द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया। मामले में आरोपी दीपेश कुजूर के द्वारा अपराध स्वीकार करने व पर्याप्त अपराध सबूत पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। मामले के आरोपी दीपेश कुजूर का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है। जिले के थाना पत्थलगांव क्षेत्रांतर्गत अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में जेल जा चुका है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह ने बताया कि आरोपी लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था, अंतत: हमारी टेक्निकल टीम के सहयोग से उसे ढूंढा जा सका, जिले में ऑपरेशन मुस्कान जारी है।

नाबालिग से दुष्कर्म,आरोपी गिरफ्तार

कांकेर (आरएनएस)। जिले की थाना चारामा पुलिस ने एक नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी ने दिनांक 07.05.25 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग पुत्री दिनांक 06.05.25 करीबन 4 बजे घर से बिना बताये कही चली गयी है कि रिपोर्ट पर गुम इंसान तथा धारा 137(2) बीएनएस कायम कर नाबालिग की तलाश शुरू की गई। मामला नाबालिग बालिका संबंधी होने से प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उमनि. एवं वरिष्ट पुलिस अधीक्षक कांकेर आई. के. ऐलिसेला (भा.पु.से.)के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेष कुमार सिन्हा (रा.पु.से.)के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कांकेर मोहसीन खान (रा.पु.से. के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र कुमार साहू के नेतृत्व में टीम गठित कर पीडित अपहृता एवं आरोपी का पता तलाश कर पीड़िता को दस्तयाब एवं आरोपी दिलीप उर्फ दीप मोरे को गिरफ़्तार कर न्यायलय में पेश किया गया है।

जिला अस्पताल के पास तलवार लहराते युवक को कोतवाली पुलिस ने दबोचा, आर्म्स एक्ट में कार्यवाई

रायगढ़

कोतवाली पुलिस ने सोमवार को जिला अस्पताल के पुराने गेट के पास एक युवक को तलवार लहराते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। युवक राहगीरों को डराने धमकाने की नीयत से सार्वजनिक स्थान पर खुलेआम हथियार के साथ घूम रहा था। मामले की सूचना मिलते ही कोतवाली टीआई सुखनंदन पटेल के निर्देश पर प्रधान आरक्षक लोमस राजपूत व आरक्षक मनोज पटनायक और उत्तम सारथी की टीम को तत्काल रवाना किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी युवक को पकड़ लिया।

पकड़े गए युवक ने अपना नाम सदानंद कलेत पिता विपिन कलेत उम्र 24 वर्ष निवासी बापू नगर, मानकेशरी मंदिर, थाना कोतवाली रायगढ़ बताया। उसके कब्जे से तलवार बरामद की गई है। आरोपी के खिलाफ थाना कोतवाली में भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 25, 27 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने जब्ती की कार्रवाई कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है।

एसपी दिव्यांग पटेल के दिशा-निर्देशन में कोतवाली पुलिस लगातार असामाजिक तत्वों पर सख्त रवैया अपनाते हुए कार्रवाई कर रही है। टीआई सुखनंदन पटेल की अगुवाई में यह कार्रवाई पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई का परिणाम रही।

अन्तर्राज्यीय ठग गिरोह पर बिलासपुर पुलिस का बड़ा प्रहार बुजुर्ग महिला से सोने के जेवरात ठगने वाले चार आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर | आरएनएस

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की सिविल लाइन थाना पुलिस व ए.सी.सी.यू. (सायबर सेल) टीम ने एक अन्तर्राज्यीय ठग गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दिल्ली और मध्यप्रदेश के उज्जैन से चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 70 वर्षीय महिला से सोने के जेवरात शुद्ध करने के बहाने ठग लिए थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने करीब 5 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है।

घटना का विवरण

18 अप्रैल 2025 को 70 वर्षीय हेमतला भोसले से अज्ञात ठगों ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र में जेवर शुद्ध करने का झांसा देकर दो सोने की चूड़ी, दो सोने की चैन और नकदी 10,000 रुपये ठग लिए थे। पीड़िता को कागज की गड्डी कपड़े में लपेटकर दी गई थी। बाद में ठगी का अहसास होने पर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

तकनीकी इनपुट से हुई गिरफ्तारी

शिकायत के बाद बिलासपुर पुलिस ने सायबर सेल की मदद से 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस की टीम दिल्ली रवाना हुई, जहां से जानकारी मिली कि आरोपी उज्जैन भाग चुके हैं। टीम उज्जैन पहुंची और चारों आरोपियों को पकडक़र दिल्ली लाई। उनके पास से ठगी गई संपत्ति जब्त कर ली गई।

गिरफ्तार आरोपी

1. मनोज सोलंकी (42 वर्ष), निवासी टैगोर गार्डन, दिल्ली
2. शांति देवी (39 वर्ष), पत्नी मनोज सोलंकी
3. विजय सोलंकी (28 वर्ष), निवासी पश्चिम विहार, दिल्ली
4. सीमा सोलंकी (24 वर्ष), पत्नी विजय सोलंकी

बरामद संपत्ति

02 नग सोने की चूड़ी

02 नग सोने की चैन

10,000 रुपये नकद

(कुल अनुमानित मूल्य: 5 लाख रुपये)

अन्य मामलों का भी खुलासा

पूछताछ में आरोपियों ने रायपुर के गोलबाजार क्षेत्र में भी इसी तरह की वारदात करना स्वीकार किया है। वहां भी सोने-चांदी के जेवरात ठगने का अपराध दर्ज है।

पुलिस टीम को सम्मान

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस सफलता पर टीम की सराहना करते हुए उन्हें उचित पुरस्कार देने की घोषणा की है। इस कार्रवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र जायसवाल, नगर पुलिस अधीक्षक निमितेश सिंह, प्रभारी निरीक्षक अजहररूद्दीन, ए.सी.सी.यू. प्रभारी अनुज कुमार समेत अन्य अधिकारी व जवान शामिल रहे।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा छत्तीसगढ़ के हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स की नियुक्ति विवाद

रायपुर | आरएनएस

छत्तीसगढ़ में हेड ऑफ फ रिस्ट फ ोर्स (एचओएफएफ) की नियुक्ति को लेकर चल रहा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दो बार सुनवाई करने के बाद याचिका को स्वीकार कर लिया है और राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस प्रकरण की अगली सुनवाई जून महीने में संभावित है।

बता दें कि यह याचिका 1990 बैच के आईएफएस अधिकारी वी. श्रीनिवास राव की एचओएफएफ पद पर नियुक्ति के खिलाफ दाखिल की गई है। आरोप है कि राज्य सरकार ने पांच सीनियर अधिकारियों की वरिष्ठता को दरकिनार करते हुए राव की नियुक्ति की। इस फैसले को सबसे वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी एवं वर्तमान में पीसीसीएफ (वाइल्ड लाइफ) के पद पर कार्यरत सुधीर अग्रवाल ने चुनौती दी है। सुधीर अग्रवाल ने पहले यह मामला केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सीएटी) में उठाया था, जहां से कोई राहत न मिलने पर वे हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट से भी संतोषजनक निर्णय न मिलने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।सुप्रीम कोर्ट में अब तक इस मामले की दो बार सुनवाई हो चुकी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में तर्क सुनने के बाद याचिका को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

क्या है एचओएफ एफ नियुक्ति विवाद

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 1990 बैच के आईएफएस अधिकारी वी. श्रीनिवास राव को हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स (एचओएफएफ) नियुक्त किए जाने के बाद विवाद शुरू हुआ। यह पद राज्य वन विभाग का सर्वोच्च प्रशासनिक पद होता है, जिसकी नियुक्ति वरिष्ठता और पात्रता के आधार पर की जानी चाहिए। राव की नियुक्ति पर सबसे वरिष्ठ अधिकारी सुधीर अग्रवाल, जो वर्तमान में प्रिंसिपल चीफ कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट (वाइल्ड लाइफ) के पद पर कार्यरत हैं, ने आपत्ति जताई। उनका आरोप है कि सरकार ने उन्हें और अन्य पांच वरिष्ठ अधिकारियों को नजरअंदाज कर राजनीतिक या अन्य गैर-व्यावसायिक आधारों पर राव की नियुक्ति की है।

सुधीर अग्रवाल ने सबसे पहले इस नियुक्ति को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में चुनौती दी, लेकिन वहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। जिसके बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन वहां भी उनकी याचिका खारिज हो गई। जिसके बाद अंतिम विकल्प के रूप में मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने दो बार की सुनवाई के बाद याचिका को स्वीकार कर लिया है और राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है।

कोतरारोड पुलिस की अवैध शराब पर कार्यवाही जारी, ग्राम नवरंगपुर में एक आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़

कोतरा रोड थाना पुलिस ने सोमवार को भी अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई जारी रखते हुए नवरंगपुर कुलबा मेन रोड स्थित पुलिया के पास से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली थी कि ग्राम नवापारा की ओर से एक व्यक्ति अवैध महुआ शराब लेकर नवरंगपुर की ओर जा रहा है, जिस पर थाना प्रभारी के निर्देश पर प्रधान आरक्षक शंभू खैरवार और आरक्षक प्रवीण राज की टीम गठित कर घेराबंदी की गई।

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संदिग्ध युवक रोहित कुमार यादव पिता श्रीधारी यादव, उम्र 42 वर्ष, निवासी नवरंगपुर, थाना कोतरारोड़ को मौके पर ही दबोच लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से तीन प्लास्टिक की बोतलों में करीब 5 लीटर 500 मिली अवैध महुआ शराब बरामद की गई, जिसकी बाजार कीमत लगभग 550 रुपये आंकी गई है।

पुलिस ने मौके पर शराब की जब्ती की कार्रवाई की और आरोपी के खिलाफ थाना कोतरारोड़ में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 59(क) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। कोतरारोड़ पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है।

स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार का खुलासा, संचालिका सहित चार गिरफ्तार

- आरोपियों से जप्त किया गया आपत्तिजनक सामग्री
- आरोपियों को पीटा एक्ट में गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

दुर्ग | आरएनएस

रविवार को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला अवैध धन लाभ अर्जन करने हेतु व्ही. आर. टावर जुनवानी में संचालित अगम ब्यूटी सेलून एवं स्पा सेंटर में मसाज के नाम पर लड़कियों से देह व्यापार करवा रही है। सूचना पर तत्काल महिला अधिकारियों कर्मचारियों के साथ टीम गठित कर पुलिस कर्मचारी को पाईटर नियुक्त कर स्पा सेंटर में अगम ब्यूटी सेलून एण्ड स्पा सेंटर में दबिश दिया गया। मौके पर स्पा सेंटर की संचालिका श्रीमति प्रिया सिंह से आपत्तिजनक सामग्री, पॉच नग रजिस्टर एवं 4 हजार रूपये तथा स्पा सेंटर के रूम में ग्राहक एस.के. द्विवेदी, धर्मशील खोब्रागढ़े, राहुल चौधरी एवं विकास गेन्ड्रे मिले, जिनके पास से आपत्तिजनक सामग्री एवं विभिन्न कम्पनी के पॉच नग मोबाईल को विधिवत जप्त किया गया। आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 533/25 अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 की धारा 3,4,5,7 के तहत कार्यवाही किया जाकर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

उक्त कार्यवाही में नगर पुलिस अधीक्षक सत्यप्रकाश तिवारी, महिला थाना प्रभारी निरीक्षक श्रद्धा पाठक, उप निरीक्षक गुरूविन्दर सिंग संधु, सहायक उप निरीक्षक संगीता मिश्रा, आरक्षक तुषार छेदैया, जी.लक्ष्मीनारायण, संतोष निर्मलकर, सविन्दर सिंग की भूमिका उललेखनीय रही।

-गिरफ्तार आरोपी..

1- प्रिया सिंह

2- एस.के. द्विवेदी,

3- धर्मशील खोब्रागढ़े,

4- राहुल चौधरी

5- विकास गेन्ड्रे

देह व्यापार में संलिप्त तीन महिलाएं गिरफ्तार

बिलासपुर | आरएनएस

शहर की सरकंडा थाना पुलिस ने आज दिनांक 12/05/25 को पेट्रालिंग के दौरान तीन संदिग्ध महिलाओं को गिरफ्तार किया है जिनसे पुछताछ करने पर पता चला कि तीनों महिलायें देह व्यापार में संलिप्त थी।

बता दें कि वरिष्ट पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर रक्षा टीम में डी एस पी अनिता प्रभा मिंज,निरीक्षक भारती मरकाम, के हमराह में प्रधान आर विनोद कुमार ,महिला आरक्षक बबीता मरावी, रूपांजली सोंचे,भावना अटलकर, आर. राकेश आनंद के द्वारा कोन्हेर गार्डन, पोस्ट ऑफिस, नेहरू चौक के आस पास के जगहों पर लगातार पेट्रोलिंग किया गया इस दौरान तीन संदिग्ध महिलाएँ भावना सूर्यवंशी पति ओम प्रकाश सूर्यवंशी उम्र 30 साल निवासी अशोक नगर सरकंडा, मंजू तिवारी पति राम तिवारी उम्र 2 साल पता थाना के सामने गौरेला जिला जीपीएम तथा पिंकी उर्फ हरीताली पति राजेश धृतलहरे उम्र 27 साल निवासी निरतू थाना कोनी जिला बिलासपुर को पकड़ा गया। इस दौरान जब महिलाओं से पुछताछ की गई तो सभी महिलाएं पुलिस से हुज्जत बाजी करने लगी जिन्हें महिला थाना लाया गया। जहां पता चला कि उक्त महिलाओं की देह व्यापार में संलिप्तता है। तीनों महिलाओं के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480